Minutes

Board of Studies (BOS)

February 2020

Maharaja Ganga Singh University

A State University of Higher Education for Dignity and Self-Reliance

Approved by UGC under Section 12B of the UGC Act 1956

NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Raj.) India

https://mgsubikaner.ac.in/

Programmes where syllabus revision was carried out

Session 2020-21

S.No.	Programme Code	Programme name
1	MGSUC_FS_PG_CS_01	M.Sc.(Computer Science)
2	MGSUC_FS_PG_CS_02	M.Sc.(Cyber Security)
3	MGSUC_FS_PG_CS_03	M.Sc.(Computer Science) Lateral Entry
4	MGSUC_FS_PGD_CS_01	Post Graduation Diploma in Computer Application
5	MGSUC_FS_PG_MB_01	M.Sc.(Microbiology)
6	MGSUC_FS_PG_ES_01	M.Sc.(Environmental Science)
7	MGSUC_FSS_PG_HIS_01	M.A.(History) Mediaval
8	MGSUC_FSS_UG_HIS_01	B.A. Honors (History)
9	MGSUC_FL_UG_LAW_01	B.A. LL.B. (H)
10	MGSUC_FL_UG_LAW_02	LL.B.
11	MGSUC_FL_PG_LAW_01	LL.M.
12	MGSUC_FA_PG_ENG_01	MA (English)
13	MGSUC_FE_PG_YOG_01	MSc(Yoga Studies and Therapy Management)
14	MGSUC_FE_UG_YOG_01	BSc(Yogic Science)

REGISTRAR
M.G.S. UNIVERSITY
BIKANER

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY
राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151-2210076 फैक्स/Fax: 2210012 ई-मेल/E-mail: academicmgsu@gmail.com

A meeting of Board of Studies/ Committee of Courses in English. Was held on 12 · 2 · 2020 Following members were present at the meeting :

1. Dr. Seema Sharma - Seema
2. Dr. Prayati Cobti - Pragti.
3. Dr Usha Kunwar.
4.
5.
6.
7.

MINUTES OF THE MEETING

An imp. meeting of the BoS was held on 12·2·2020. A few initial changes in almost all the papers at the U.G and P.G. level (annual scheme) were proposed. It was decided that these would be furnished shortly.

Usha

Seema

Pragti.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

A meeting of Board of Studies/ Committee of Courses in Drawing and Painting Was held on 18-02-2020 Following members were present at the meeting :

1. Dr. Inder Singh Rajpurohit
2. Dr. Satish Gupta
3. Dr. Narendra Kumar.
4.
5.
6.
7.

MINUTES OF THE MEETING

चित्रकला विषय की सत्र 2020-21 हेतु पाठ्यक्रम समिति की बैठक आज दिनांक 18.2.2020 को आहूत हुई : जिनमें उपरोक्त सदस्य उपस्थित हुए।

सत्र 2020-21 हेतु स्नातक चित्रकला एवं स्नातकोत्तर चित्रकला में किसी प्रकार का परिवर्तन पूर्व से चल रहे पाठ्यक्रम में नहीं किया गया है। सत्र 2019-20 का पाठ्यक्रम ही सत्र 2020-21 का यथावत रहेगा।

बी.एफ.ए. - स्नातक पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है पूर्व में प्रस्तुत एकल पाठ्यक्रम अनुसार सत्र 2020-2021 में B.F.A. Part III (बी.एफ.ए. भाग तृतीय) में स्वतः परिवर्तन होगा। नया परिवर्तन इस सत्र में नहीं किया गया है। अलग-अलग अंक के साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित है; जबकि परीक्षा बी.ए. फाईनल में प्रायोगिक पेपर अलग-अलग अंक प्रदर्शित आये तथा इसी के अनुसार बैंच कार्य आदि। में एक पेपर दिखाया जाता है। अतः इनका पृथक-पृथक अंक पाठ्यक्रम की मुद्रित प्रति में आवश्यक संशोधन किये गए हैं; जिन्हें आवश्यक रूप में ऑफर एवं हार्ड कॉपी में कर लिये जावें।

(Dr Satish Gupta) (Dr. Inder Singh Rajpurohit) (Dr Narendra Kumar)
18/2/2020

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY
राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151-2210076 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail: academicmgsu@gmail.com

A meeting of Board of Studies/ Committee of Courses in Commerce (Buss. Mgmt.) Was held on 06 March'2020 Following members were present at the meeting :

1. Dr. Pankaj Jain [signature]
2. Dr. Suresh Dhaka [signature]
3. Dr Radha Solanki [signature]
4. ——
5. ——
6. ——
7. ——

MINUTES OF THE MEETING

Meeting of BOS of Commerce (Buss. Management) was conducted today (06 March 2020) wherein the following decision has been taken:

1) Starting from Session 2020-21, Internal Assessment of 20 Marks in each paper of B.Com & M.Com is planned to be introduced for Regular Students only.

2) Scheme of Examination has also been changed.

The Internal Assessment Plan and changed scheme of Examination is attached herewith.

[signature] (Dr. Suresh Dhaka) [signature] (Dr. Radha Solanki) [signature] 06/03/20 (Dr. Pankaj Jain)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA

A meeting of Board of Studies/ Committee of Courses in Microbiology Was held on 10·02·2020 Following members were present at the meeting :

1. Dr. Gautam K. Meghwanshi
2. Dr. Dharmesh Harwani
3. Dr. Abhishek Vashishtha
4.
5.
6.
7.

MINUTES OF THE MEETING

1. The syllabi of BSc I, II, III year, MSc (Pre), MSc (Final) Annual scheme, MSc Semester System (CBCS) were reviewed & checked. In the papers of MSc ~~Semester~~ Semester System, in paper Codes MB204 Industrial and food micro biology (Sem. II) and MBCC302 Soil & agricultural micro (Sem. III) modifications have been introduced. Minor Changes have been made in BSc micro.

2. Examination Scheme for BSc I, II, III, MSc Annual and Semester system 2020-21 were Prepared.

3. Modifications have been also made in MSc Annual Microbiology in Paper Codes, Paper V Industrial & Food microbiology and in Paper VII Geo micro biology, soil & agriculture micro biology.

(Dr. G.K. Meghwanshi) (Dr. D. Harwani) (Dr. A. Vashishtha) 10.2.2020.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151-2210076 फैक्स/Fax: 2210012 ई-मेल/E-mail: academic...u@gmail.com

A meeting of Board of Studies/ Committee of Courses in Computer Science. Was held on 18/02/2020. Following members were present at the meeting :

1. Dr. Subhash Panwar
2. DR. Narpat Singh Shekhawat.
3. Dr. Jyoti Lakhani (Convener)
4. Amresh Kr Singh — 18.2.2020
5.
6.
7.

MINUTES OF THE MEETING

1. The syllabus of BA/BCom/BSC vocation computer, MSC(CS) Annual system, MSC(CS) Semester system, BCA, PGDCA, MSc (Cyber Security), MSc CS (LE), MSC (IT) and Elementary computer has been reviewed and revised as follows -

① BA/BCom/BSc vocational computer - No change

② BCA - BCA-105 paper is replaced with new paper and contents of BCA-103, BCA-109 (NAME changed), BCA-203, BCA-206(A) and BCA 304(B) is changed.

③ MSc (Comp. Sc.) Annual System - Contents of MCS-102 and MCS-204(C) is changed.

④ MSc (IT) - No change

⑤ MSc. CS (LE) - Contents of MCSLE-104 is changed.

⑥ PGDCA - shuffling of PGDCA-106 to theory and contents of PGDCA-102 is changed.

⑦ MSc. (CS) Semester System - MCS-104, MCS-302(A) & MCS-302(B), MCS-402(A) contents changed.

⑧ MSc (Cyber Security) - Completely changed.

⑨ Elementary Computer - No change

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

2. Students of M.Sc. (Cyber Security) may not be eligible for teaching positions. So existing course may be renamed as MSc (Comp. Sc.) with specialization in cyber security. The papers based on cyber security may be reduced and number of papers based on core computer science may be increased accordingly.

Reject

No Changes

(signature) 18/02/2020.
(Dr. Subhash Panwar)

(signature)
(DR. Narpat Singh Shekhawat)

(signature)
(JYOTI LAKHANI)

(signature)
(Amresh K. Singh)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY, BIKANER

JAISALMER ROAD, NATIONAL HIGHWAY NO. - 15, BIKANER

A meeting of Board of Studies in Environmental Science was held on 14/02/2020 Following members were present at the meeting :

1. Prof. Anil kumar Chhangani
2. Dr. Anil kumar Dular
3. Dr. P. D. Charan
4. Dr. Leela Kaur
5. Dr Prashant Bissa
6.
7.

MINUTES OF THE MEETING

The syllabi of different following courses are assessed thorougly. The members of the committee are agreed to made some minor changes in syllabus of M.Sc. Environmental science (CBCS) for session 2020-21 and remaining sullabi are proceeded without any change.

(1) - Ph.D. course work (Env Sc.)
(2) - M.Phil (Env Sc.)
(3) - M.Sc. (Env Sc.)
(4) - BSc (Hon.) Env.Sci
(5) - PG Diploma in Geoinformatics & Remote sensing
(6) - P.G. Diploma in Advanced Instrumentation Tech
(7) - P.G. Diploma in Environmental Law
(8) - ~~Elementary~~ Environmental studies (Compulsory) (BA./BSc./B.com.)
(9) - MPCET Syllabus.

Scanned with CamScanner

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY
राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151-2210076 फैक्स/Fax: 2212012 ई-मेल/E-mail: academicmgsu@gmail.com

(1)

A meeting of Board of Studies/ Committee of Courses in Law Was held on 14/02/2020 Following members were present at the meeting :

1. Dr. V.N. Singh Dean, faculty of Law [signature] 14.02.2020
2. Dr. B.R. Bishnoi Convenor (Law) [signature]
3. Dr. A.K. Joshi (Senior member) [signature] 14/2/2020
4.
5.
6.
7.

MINUTES OF THE MEETING

आज दिनांक - 14 फरवरी 2020 को विधि विषय की B.O.S. की बैठक में LL.B. त्रीवर्षीय पाठ्यक्रम, LL.B. Honors पंचवर्षीय पाठ्यक्रम तथा LL.M. एवं विधि डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर समीति के सदस्यों द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया और आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम को अद्यतन किए जाने संबंधी निम्नांकित निर्णय लिए गए :-

(1) LL.B. I year Paper 1.1 के शीर्षक में The Consumer Protection Act, 1986 के स्थान पर The Consumer Protection Act, 2019 प्रतिस्थापित किया जाए उक्त प्रश्न पत्र के Unit-V में भी The Consumer Protection Act 1986 के स्थान पर The Consumer Protection Act, 2019 प्रतिस्थापित किया जाए।

(2) LL.B. I year Paper 1.6 की यूनीट I में Article 12 to 35 के स्थान पर Article 12 to 18 प्रतिस्थापित किया जाए।

(3) इसी पेपर के Unit II में fundamental Rights.

Continue... (2)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Article - 19 to 24' (उपशीर्षक) जोड़ा जाए।

⊙ इसी प्रश्न पत्र के Unit - II के उपशीर्षक 'The Union Legislature' को पूरे content के साथ वहाँ से हटाकर Paper - 1.7 की Unit III में जोड़ दिया जाए तथा Paper - 1.7 की Unit III में एक नया ~~उप~~ उपशीर्षक 'fundamental Rights: Articles 25 to 35' को जोड़ा जाए।

⊙ पेपर 1.7 की Unit I का उपशीर्षक 'Directive Principles and fundamental Duties' के स्थान पर Directive Principles of State policy and fundamental Duties: Articles 36 to 51 A को प्रतिस्थापित किया जाए।

⊙ पेपर 1.6 की Unit II के उपशीर्षक 'The Union Legislature' का पूरा content को वहाँ से हटाकर Paper 1.7 की Unit III में जोड़ा जाए।

⊙ पेपर 1.7 की Unit IV में एक नया उपशीर्षक "Writs: Habeas ~~Corp~~ Corpus, Certiorari, Mandamus Quo-warranto, Prohibition" जोड़ा जाए।

(3) Paper - 1.9(A) के Unit - II से 'Judicial Reforms' ~~उप~~ उपशीर्षक को सम्पूर्ण contents के साथ हटाते हुए सम्पूर्ण content सहित इसी Paper की Unit III - में जोड़ा जाए।

⊙ इसी Paper की Unit - III ~~को~~ के उपशीर्षक 'Establishment of HighCourts' के content से 'Charter of Calcutta High Court', 'Allahabad HighCourt', 'The Indian HighCourt Act Constitutional Developments' को

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

इसी उपशीर्ष के शीर्ष (3)

निरसित करते हुए ~~शीर्ष~~ / Content - The Indian High Court Act 1861, The Government of India Act, 1915, Other High courts, Jurisdiction of High court को इसी प्रश्न पत्र [1.9 (A)] के Unit - V में जोड़ा जाए।

(4) LL.B. II year के Paper 2.2 के select bibliography में क्रम संख्या - 7 पर Rajat Baijal: Law of Protection of Women from Domestic Violence को जोड़ा जाए।

★ (5) विशेष :→ सत्र 2019-20 की विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु LL.B. II year के Paper 2.8 (A), Taxation Laws के पाठ्यक्रम की Unit - V को (पूर्व की B.O.S. meeting की अनुशंसा के अनुरूप) निरसित कर LL.B. II year (10 Paper New scheme सत्र 2020-21) के Paper 2.9 (A) Taxation Laws की Unit V के सम्पूर्ण contents से इसे प्रतिस्थापित किया जाए।

(•) तथा वर्तमान सत्र 2019-20 की परीक्षा हेतु उक्त संशोधन को पाठ्यक्रम में समाहित मानते हुए विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम संबंधी वेबसाइट को अद्यतन किया जाए तथा इसी संशोधित पाठ्यक्रम के अनुरूप परीक्षा 2020 हेतु उक्त प्रश्न पत्र को निर्मित किए जाने के निर्देश परीक्षक को दिया जाए।

Continue Page No. 4

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

LL.B. III year Paper 3.2 की Select Bibliography के क्रम संख्या - 2, 3, 7, 9 को हटाकर निम्नांकित को क्रमानुसार जोड़ा जाए।

- Bhadu Vinod – Criminal Procedure Code (Hindi/English).
- Kelkar R.V. – Criminal Procedure Code
- Thakkar C.K. – Criminal Procedure Code

) LL.B. III year के Paper 3.4 की Select Bibliography में क्रम संख्या - 8 के बाद क्रमानुसार निम्नांकित को जोड़ा जाए।

- Anirudh Prasad : Interpretation of Statues (Hindi)
- Jain R.L. : Legal writing and Legal Language

(8) LL.B. Third year के पाठ्यक्रम में उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुए शेष पाठ्यक्रम को यथावत रखा जाए।

(9) LL.M. Part I & Part II की सभी Branches एवं समस्त Diploma courses के पाठ्यक्रम को यथावत रखा जाए।

(10) LL.B. five year (Hons) के पाठ्यक्रम में वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यदि निदेशक, School of Law, M.G.S. University Bikaner उक्त पाठ्यक्रम में संशोधन/परिवर्तन की इच्छा रखने की स्थिति में उक्त पाठ्यक्रम संशोधन/परिवर्तन किए जाने के उद्देश्य से B.O.S. की अतिरिक्त बैठक उचित समय में आयोजित की जा सकेगी;

Continue Page No. 5

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

परीक्षा की scheme को पूर्व की भाँति यथावत रखा जाए।

—— XXX ——

14.02.2020
(Dr. V.N. Singh)

14/2/2020
(Dr. A.K Joshi)

(ऽTO.....)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Ph no: 0151-2210376 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail: academicmgsu@gmail.com

A meeting of Board of Studies/ Committee of Courses in History Was held on 06.03.2020 Following members were present at the meeting:

1. Dr. Chandrashekhar Kachchawa [signature]
2. Dr. Meghna Sharma [signature]
3.
4.
5.
6.
7.

MINUTES OF THE MEETING

1. It was decided that from 2022-23 session the paper (Methodology of History) Paper IV of BA Honours Pt. III will be replaced by 'Indian Thought', the syllabus will be provided soon to the institution.

2. General discussion and corrections were done in running papers. Schemes are same as before.

[signature]

[signature]

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151-2210076 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail: academicmgsu@gmail.com

A meeting of Board of Studies/ Committee of Courses in Geography Was held on 26.02.2020 Following members were present at the meeting :

Name. Signature.

1. Dr. R.C. Srivastava (convener) [signature]
2. Dr. S.S. Khinchi (member) [signature]
3.
4.
5.
6.
7.

MINUTES OF THE MEETING

The above mentioned members along with the convener of the Board of Studies in Geography were present in the meeting on 26.02.2020.

The members have gone through the syllabus of last year thoroughly and found no changes necessary for this year as well.

The schemes of Examination for various courses have been duly filled in and submitted to the university office.

1. Dr. R.C. Srivastava, Convener, BoS. [signature] 26.2.2020
2. Dr S.S. Khinchi [signature] 26.2.2020

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY
राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151-2210670 फैक्स/Fax: 2..2042 ई-मेल/E-mail: academicmgsu@gmail.com

A meeting of Board of Studies/ Committee of Courses in ______________ Was held on ______________ Following members were present at the meeting :

1. DR SHATRUGHAN SINGH – [signature]
2. MR. MEGHNATH – [signature]
3. MR. HITENDRA MARU – [signature]
4.
5.
6.
7.

MINUTES OF THE MEETING

आज दिनांक 17/02/2020 को उपरोक्त सदस्यों द्वारा BSc, MSc, PGDYN के पाठ्यक्रम पर चर्चा कि गई। संशोधन निम्न प्रकार से है।

Bsc Yoga paper BYS-2 में आंशिक संशोधन किया गया, BYS-5 – आंशिक संशोधन एवं BYS-9 पेपर में unit संशोधन किया गया

1. MSc(Pre) में paper – MYS-1 में आंशिक संशोधन किया गया
2. MSc (final) में paper – MYS-5 आंशिक संशोधन एवं MYS-8 में भी संशोधन किया गया

(MEGHNATH) [signature] (HITENDRA MARU) [signature] (SHATRUGHAN) [signature]

Scanned with CamScanner

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय
MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY
राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151-2210076 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail: academicmgsu@gmail.com

A meeting of Board of Studies/ Committee of Courses in Bachlor Lib & Info. Sci Was held on 25-2-2020 Following members were present at the meeting :

1. Shri. Birbal Meghwal, Librarian, Dungar College, Bikaner
2. Shri. Dharmveer Kateva, Govt. M.S. College for Women, Bikaner
3. Shri Umesh Sharma, MGSU, Bikaner
4.
5.
6.
7.

25/2/20

MINUTES OF THE MEETING

आज दिनांक 25/2/2020 को पुस्तकालय एवं सूचना विभाग में स्नातक हेतु (COC) आयोजित की गई जिसमें वर्ष 2020-21 हेतु ~~कक्षा~~ कोर्स के पाठ्यक्रम पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त उसको अन्तिम रूप देकर अनुमोदित किया गया। इसके साथ Exam. of Scheme भी तैयार की गई।

25/2/20

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

महाराजा गंगा सिंह विश्वऽविद्यालय, बीकानेर
दूरभाष:0151 -2970177 ई :मेल-registrar@mgsubikaner.ac.in

विद्या परिषद् की 19वीं बैंठक का कार्यवृत (Minutes)

दिनांक : 29-06-2020 **समय : प्रातः11:00 बजे**

विद्या परिषद की 19वीं बैठक दिनांक 29-06-2020 को प्रातः 11:00 बजे महर्षि शौनक भवन (कुलपति सचिवालय) के विद्या परिषद् सभागार में आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	**प्रो. पी.सी. त्रिवेदी, माननीय कुलपति**	अध्यक्ष
2	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, संकायाध्यक्ष कला एवं सामाजिक विज्ञान	सदस्य
3	प्रो. राजाराम चोयल, संकायाध्यक्ष विज्ञान	सदस्य
4	डॉ. वी.एन. सिंह, संकायाध्यक्ष विधि	सदस्य
5	डॉ. मीनू पूनियां, संकायाध्यक्ष वाणिज्य	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
6	डॉ. मिनाक्षी मिश्रा, संकायाध्यक्ष शिक्षा	सदस्य
7	डॉ. राकेश हर्ष, सहायक निदेशक-कॉलेज शिक्षा प्रतिनिधि, शासन सचिव, उच्च शिक्षा ।	सदस्य
8	डॉ. श्रवण सैनी राज्य सरकार द्वारा नामित प्राचार्य, सरकारी महाविद्यालय	सदस्य
9	डॉ. बी. एल. विश्नोई, राज्य सरकार द्वारा नामित प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य
10	प्रो. अनिल कुमार छंगाणी कुलपति महोदय द्वारा नामित आचार्य	सदस्य
11	डॉ. शालिनी मूलचंदानी, संयोजक-हिन्दी	सदस्य
12	डॉ. संध्या जैन, संयोजक- वनस्पतिशास्त्र	सदस्य
13	डॉ. विजय श्री, संयोजक - रसायनशास्त्र	सदस्य
14	डॉ. ज्योति लखाणी, संयोजक-कम्प्यूटर विज्ञान	सदस्य
15	डॉ. रंजन सक्सेना, संयोजक-गणित	सदस्य
16	डॉ. गौतम कुमार मेघवंशी, संयोजक, सूक्ष्म जीव विज्ञान	सदस्य
17	डॉ. रविन्द्र मंगल, संयोजक- भौतिक विज्ञान	सदस्य
18	डॉ. मीरा श्रीवास्तव, संयोजक -प्राणीशास्त्र	सदस्य
19	डॉ. उषा कंवर, संयोजक -अंग्रेजी	सदस्य
20	डॉ. नन्दिता सिंघवी, संयोजक -संस्कृत	सदस्य
21	डॉ. सुमित्रा चारण, संयोजक-दर्शनशास्त्र	सदस्य

22	डॉ. इन्द्रसिंह राजपुरोहित – संयोजक, चित्रकला	सदस्य
23	डॉ. श्याम सुन्दर ज्याणी, संयोजक- समाजशास्त्र	सदस्य
24	डॉ. साधना भण्डारी, संयोजक-लोक प्रशासन	सदस्य
25	डॉ. चन्द्रशेखर कच्छावा, संयोजक- इतिहास	सदस्य
26	डॉ. डी.एस. पूनिया, संयोजक-ए.बी.एस.टी.	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
27	डॉ. पंकज जैन, संयोजक -व्यवसायिक प्रशासन	सदस्य
28	डॉ. एम.एस. पूनिया, संयोजक- ई.ए.एफ.एम.	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
29	डॉ. भगवाना राम बिश्नोई, संयोजक विधि	सदस्य
30	डॉ. कविता चौधरी, संयोजक -शिक्षा	सदस्य (विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग)
31	डॉ. यशवंत गहलोत, संयोजक-शारीरिक शिक्षा	सदस्य
32	डॉ. कविता चौधरी- संयोजक शिक्षा	सदस्य
33	डॉ. अभिषेक वशिष्ठ,कुलपति महोदय द्वारा नामित शिक्षक	सदस्य
34	श्री भंवर सिंह चारण, कुलसचिव	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने विद्या परिषद् बैठक में उपस्थित एवं विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से जुडे समस्त सदस्यों का स्वागत किया । संकायाध्यक्ष डॉ. मिनाक्षी मिश्रा पाठ्यक्रम मण्डल के संयोजक डॉ. विजय श्री, डॉ. शालिनी मूलचंदानी, डॉ. डी.एस. पूनिया, डॉ. कमलेश तायल, डॉ. साधना भण्डारी, डॉ. चन्द्रशेखर कच्छावा, डॉ. एम.एस. पूनिया का नव-मनोनयन पर स्वागत किया गया। शासन सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित डॉ. राकेश हर्ष का भी स्वागत किया गया।

विद्या परिषद् द्वारा निवर्तमान माननीय कुलपति प्रो. भगीरथ सिंह, माननीय सदस्य प्रो. नारायण सिंह राव, डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण, डॉ. उमाकान्त गुप्त, डॉ. आर.एस. वर्मा, डॉ. नरेश कुमार, डॉ. बजरंग सिंह राठौड, डॉ. पुष्पा चौहान एवं सदस्य सचिव श्री राजेन्द्र सिंह डूडी द्वारा विद्या परिषद् बैठक एवं विश्वविद्यालय में दिये गए सहयोग की सराहना की गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि विद्या परिषद् बैठक में मद प्रस्तुत करने से पूर्व समीक्षा की जानी चाहिए ताकि बैठक में सम्पूर्ण तथ्यों एवं औचित्य सहित मद प्रस्तुत की जा सके एवं तद्नुसार निर्णय लिये जा सके। सदन ने अध्यक्ष महोदय के सुझाव से सहमति प्रकट करते हुए निर्णय लिया कि भविष्य में विद्या परिषद् एवं प्रबन्ध बोर्ड में मद रखने से पूर्व प्रकरण की प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वित्तीय दृष्टिकोण से नियमानुसार समीक्षा करवाई जाए।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य सचिव द्वारा सदन के समक्ष बिन्दुवार मद प्रस्तुत किये गए जिन पर सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गए :-

मद संख्या	**मद**	**विभाग/अनुभाग**
01	विद्या परिषद् की दिनांक 13-07-2019 को सम्पन्न हुई 18 वीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि का प्रस्ताव। **परिशिष्ट**-1 (पृष्ठ संख्या : 01 से 11)	शैक्षणिक
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	

02	**विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 13-07-2019 में लिये गए** निर्णयों की बिन्दुवार की गई पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव। **परिशिष्ट-2** **(पृष्ठ संख्या 12 से 52**)	
निर्णय	निम्नलिखित निर्णयों के साथ गत बैठक की पालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया :-	शैक्षणिक
	विनिर्णिय संख्या 02 (22) :- शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रायोगिक परीक्षा वाले पाठ्यक्रमों में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा की अनुमति प्रदान नही करने के निर्णय को कोविड-19 के कारण इस सत्र (2020-21) के लिए स्थगित रखते हुए आगामी सत्र 2021-22 से लागू करने का निर्णय लिया गया।	शैक्षणिक
	विनिर्णिय संख्या 12:- अक्षय निधि बनाने हेतु जारी आदेश में संशोधन करते हुए अक्षय निधि की ब्याज राशि महाविद्यालयों को निकालने का उक्त आदेश में उल्लेख करने निर्णय लिया गया।	शैक्षणिक
	विनिर्णिय संख्या 23:- विश्वविद्यालय शोध आर्डिनेंस 124 में प्रावधान नही होने के कारण शोधार्थी श्री पंकज कुमार सिंह का पंजीयन निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	शोध
	विनिर्णिय संख्या 25:- निजी महाविद्यालयों की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ऑडिट कराने के सम्बन्ध में सम्बद्धता नियमों में प्रावधान करने एवं नियम बनाने हेतु पूर्व गठित समिति में प्रो. नारायण सिंह राव का अन्यत्र चयन हो जाने पर प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल को समिति का संयोजक मनोनीत करने का निर्णय लिया गया।	शैक्षणिक
	विनिर्णिय संख्या 29:- प्रायोगिक परीक्षा हेतु अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत पैनल अनुसार परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। किसी परीक्षक द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर अतिरिक्त परीक्षकों का पैनल अध्ययन बोर्ड के संयोजक से प्राप्त कर परीक्षकों की नियुक्ति की जाए। साथ ही परीक्षकों की नियुक्ति में विश्वविद्यालय/राजकीय महाविद्यालय के साथ-साथ निजी महाविद्यालयों में कार्यरत एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों को भी परीक्षक नियुक्ति में प्राथमिकता प्रदान की जाए।	परीक्षा
03	विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों एवं पाठ्यक्रम समिति द्वारा सत्र 2020-21 के लिए प्रस्तुत किये गए पाठ्यक्रम के अनुमोदन का प्रस्ताव :- **परिशिष्ट**-3 (पृष्ठ संख्या 53-109:)	शैक्षणिक

क्र.स.	**संकाय**	**विषय**	**पृष्ठ संख्या**
1	कला	हिन्दी (12-02-2020)	53-57
2		अंग्रेजी (12-02-2020)	58
3		संस्कृत (12-02-2020)	59

		4		उर्दू (19-02-2020)	60		
		5		पंजाबी (02-03-2020)	61		
		6		राजस्थानी (05-03-2020)	62-63		
		7		चित्रकला एवं फाइन आर्ट्स (18-02-2020)	64		
		8		संगीत (23-01-2020)	65		
		9		दर्शनशास्त्र (28-01-2020)	66-67		
				मनोविज्ञान (12-02-2020)	68-69		
		10	वाणिज्य	ए.बी.एस.टी. (06-03-2020)	70-72		
		11		व्यवसायिक प्रशासन (06-03-2020)	73		
		12		ई.ए.एफ.एम. (07-03-2020)	74		
		13	विज्ञान	भौतिक विज्ञान (10-02-2020)	75		
		14		रसायनशास्त्र (29-02-2020)	76-77		
		15		वनस्पतिशास्त्र (10-02-2020)	78		
		16		प्राणी विज्ञान (22-02-2020)	79		
		17		गणित (10-02-2020)	80		
		18		भू-गर्भ विज्ञान (12-02-2020)	81		
		19		जैव तकनीकी (18-02-2020)	82		
		20		सूक्ष्म जीव विज्ञान (10-02-2020)	83		
		21		कम्प्यूटर विज्ञान (18-02-2020)	84-85		
		22		पर्यावरण विज्ञान (14-02-202)	86		
		23		सैन्य विज्ञान (05-03-2020)	87		
		24	विधि	विधि (14-02-2020)	88-92		
		25	सामाजिक विज्ञान	अर्थशास्त्र (18-02-2020)	93-95		

	26		राजनीति विज्ञान (22-02-2020)	96		
	27		समाजशास्त्र (25-01-2020)	97		
	28		इतिहास (06-03-2020)	98		
	29		भूगोल (26-02-2020)	99		
	30		लोक प्रशासन (02-03-2020)	100-101		
	31		गृह विज्ञान (14-02-2020)	102		
	32		जी.पी.ई.एम. (14-02-2020)	103		
	33		जे.वी.जे.वी. (06-03-2020)	104		
	34	शिक्षा	शिक्षा (28-01-2020)	105-106		
	35		शारीरिक शिक्षा (10-02-2020)	107		
	36		योगा (17-02-2020)	108		
	37		पुस्तकालय विज्ञान (25-02-2020)	109		

निर्णय

पाठ्यक्रमों पर चर्चा करने से पूर्व विद्या परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि अध्ययन बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रमों में प्रस्तुत वैकल्पिक प्रश्न-पत्रों एवं आन्तरिक मूल्याकंन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। माननीय कुलपति महोदय से सदन को अवगत कराया कि आगामी सत्रों से राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के लिए स्नातक स्तर के समान पाठ्यक्रम बनाये जा रहे है। राजकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर विषय के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार से पत्र के माध्यम अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।

अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित संशोधन के अनुसार अनुमोदित किये गए :-

(1) दर्शनशास्त्र विषय में स्नातक प्रथम वर्ष अंक विभाजन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।

(2) ए.बी.एस.टी, व्यवसायिक प्रशासन एवं ई.ए.एफ.एम. अध्ययन बोर्ड द्वारा आन्तरिक मूल्याकंन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया।

(3) विधि पाठ्यक्रम में साईबर लॉ डिप्लोमा प्रारम्भ करने का सुझाव दिया गया।

(4) बी.ए. बी.एड. तथा बी.एससी. बी.एड. में सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रमों का समावेश किया जाए।

04	प्रतिवेदित है कि सामाजिक विज्ञान संकाय में संकायाध्यक्ष हेतु विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार में आचार्य/प्राचार्य पदस्थापित नही होने के कारण प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, संकायाध्यक्ष कला को आगामी आदेशों तक संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान का प्रभार अतिरिक्त रूप से दिया गया है। आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
05	विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रवेश-नीति 2020-21 को अंगीकृत करने हेतु प्रस्ताव ।	शैक्षणिक
निर्णय	**शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विश्वविद्यालय एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए राज्य सरकार की प्रवेश-नीति 2020-21 को अंगीकृत किया गया। जिन कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के नियम है, उनमें विश्वविद्यालय के नियम तथा शेष के लिए राज्य सरकार की प्रवेश नीति के नियम प्रभावी होगे।**	
06	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2019-20 में 20 नवीन महाविद्यालयों(सूची संलग्न) को अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गई जो पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट-4** **(पृष्ठ संख्या 110)**	शैक्षणिक
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
07	**"आनन्दम"** पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय स्तर पर लागू करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **परिशिष्ट-5** **(पृष्ठ संख्या 111-116)**	
निर्णय	**विश्वविद्यालय में सत्र 2020—21 स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर आनन्दम पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। पाठ्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में संकायाध्यक्षों की समिति द्वारा नियमावली बनाई जाएगी। संकायाध्यक्षों की रिपोर्ट में निर्णय लेने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	शैक्षणिक
08	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप—4) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.14(10)शिक्षा—4/2001 पार्ट दिनांक 07—02—2020 के द्वारा विश्वविद्यालय में तीन नवीन विभाग यथा भूगोल, वाणिज्य एवं प्रबन्धन तथा फाइन आर्ट्स स्वीकृत किये गए है। उक्त विभागों का संचालन आगामी शैक्षणिक सत्र 2020—21 से किया जाना है। अतः उक्त विभागों में संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रम एवं शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **परिशिष्ट-6** **(पृष्ठ संख्या 117)**	शैक्षणिक

निर्णय	**विश्वविद्यालय में नवीन विभागों की स्वीकृति पर विद्या परिषद् द्वारा खुशी व्यक्त की गई।** **वाणिज्य एवं प्रबन्ध विभाग में प्रथमतः इस सत्र (2020–21) से व्यवसायिक प्रशासन तथा प्रबन्धन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। आगामी सत्रों से ए.बी.एस.टी. एवं ई.ए.एफ.एम. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।** **फाइन एवं आर्ट्स विभाग में पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित करने की निर्णय लिया गया :–** **1. प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल–संकायाध्यक्ष कला** **2. डॉ. इन्द्रसिंह राजपुरोहित – संयोजक चित्रकला** **3. डॉ. राकेश हर्ष,प्रतिनिधि, शासन सचिव, उच्च शिक्षा** **4. विशेष आमंत्रित विषय विशेषज्ञ** **5. उप कुलसचिव, शैक्षणिक – सदस्य सचिव** **समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।** **भूगोल, व्यवसायिक प्रशासन, प्रबन्धन एवं ड्राईग पेन्टिंग के सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु सम्बन्धित विषय के अध्ययन बोर्ड को अधिकृत किया गया। अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम को अनुमोदित करने हेतु विद्या परिषद् द्वारा माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। शैक्षणिक शुल्क अन्य संचालित पाठ्यक्रमों के समान रखे जाने का निर्णय लिया गया।** **विश्वविद्यालय परिसर में संचालित संकायों में शिक्षा संकाय का समावेश नही होने के कारण विश्वविद्यालय परिसर में M.P.Ed. विभाग की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।**	
09	शिक्षा संकाय के अन्तर्गत सत्र 2020–21 से B.A.S.L.P. Bachelor in Audiology and Speech Language Pathology) चार वर्षीय पाठ्यक्रम को इस विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने एवं सम्बद्धता शुल्क निर्धारण करने का प्रस्ताव। **परिशिष्ट–7** **(पृष्ठ संख्या 118)**	शैक्षणिक
निर्णय	**पाठ्यक्रम को अंगीकृत करने से पूर्व समीक्षा करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :–**	

	1. डॉ. मिनाक्षी मिश्रा, संकायाध्यक्ष शिक्षा 2. डॉ. कविता चौधरी, संयोजक– शिक्षा 3. प्रो. अनिल कुमार छंगाणी – विज्ञान विषय विशेषज्ञ 4. डॉ. रविन्द्र मंगल, विज्ञान विषय विशेषज्ञ 5. डॉ. राकेश हर्ष,प्रतिनिधि, शासन सचिव, उच्च शिक्षा 6. उप कुलसचिव, शैक्षणिक उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, सम्बद्धता शुल्क एवं पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	
10	Startup and Innovation Policy का प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट–8** **(पृष्ठ संख्या 119–123)**	IQAC
निर्णय	**अनुमोदन किया गया। माननीय कुलपति महोदय ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर से एम.ओ.यू. सम्पादित किया गया है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों को स्किल डवलममेन्ट डिप्लोमा कोर्स करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को समय पर रोजगार प्राप्त हो सके।**	
11	प्रतिवेदित विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 20072 दिनांक 21.09.2019 के द्वारा सत्र 2020–21 से स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित प्रायोगिक विषयों वाले पाठ्यक्रमों के लिए 30 सीट एवं नॉन प्रायोगिक विषयों वाले पाठ्यक्रमों के लिए 60 सीट की सीमा तक एक वर्ग निर्धारित किया गया है। आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट–09** **(पृष्ठ संख्या 124)**	शैक्षणिक
निर्णय	**विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्व में संचालित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय के लिए एक वर्ग में अधिकतम 30 सीटे एवं नॉन प्रायोगिक विषय के लिए 60 सीटे निर्धारित करने निर्णय की पुष्टि की गई। सत्र 2020–21 से नवीन स्नातकोत्तर विषय प्रारम्भ करने पर महाविद्यालय को प्रथम बार प्रायोगिक विषय के लिए 20 एवं नॉन प्रायोगिक विषय के लिए 40 सीटे निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। कालान्तर में एक वर्ग की शेष सीटे क्रमशः 10 एवं 20 की स्वीकृति से पूर्व महाविद्यालय का निरीक्षण कराया जाएगा जिसके लिए निरीक्षण शुल्क महाविद्यालय द्वारा देय होगा, तथापि सम्बद्धता शुल्क देय नही होगा। विश्वविद्यालय विभागों में भी एक वर्ग में प्रायोगिक विषय के लिए 20 सीटे एवं नॉन प्रायोगिक विषय के लिए 40 सीटे निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।**	

12	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 26545 दिनांक 29.11.2019 के द्वारा सत्र 2020-21 से महाविद्यालयों से स्नातक स्तर पर संचालित संकायों में कम्प्यूटर एप्लीकेशन वोकेशनल विषय के लिए लिये जाने वाले अतिरिक्त सम्बद्धता शुल्क को समाप्त किया गया। आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट-10** **(पृष्ठ संख्या 125)**	शैक्षणिक
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
13	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 26996 दिनांक 29.11.2019 के द्वारा सत्र 2020-21 से सम्बद्धता शुल्क का निर्धारण किया गया है। आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट-11** **(पृष्ठ संख्या 126)**	
निर्णय	**पुष्टि की गई। विशेष बी.एड. के लिए सम्बद्धता शुल्क बी.एड. सम्बद्धता के समान रखने एवं विशेष बी.एड. द्वारा विद्यार्थियों से लिये जाने वाला शुल्क भी बी.एड. के विद्यार्थियों के समकक्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। भविष्य में विद्या परिषद के माध्यम से ही सम्बद्धता शुल्क के निर्धारण का निर्णय लिया गया।**	शैक्षणिक
14	प्रतिवेदित है कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में संचालित M.A. Archealogy, Vanshawali, Museology and M.Sc. Cyber Security, Computer Science (Lateral Entry) के तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर पाठ्यक्रमों का अन्य समान्तरण पाठ्यक्रमों के अनुसार परीक्षा शुल्क आदेश क्रमांक 321 दिनांक 02-10-2019 का निर्धारण किया गया है। विश्वविद्यालय में सत्र 2019-20 से पॉच वर्षीय एकीकृत एलएल.बी. नवीन पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया जिसका प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा शुल्क 350/- (प्रति सेमेस्टर) तथा पश्चातवर्ती सेमेस्टर का परीक्षा शुल्क राशि 380/- रूपये (प्रति सेमेस्टर) का विश्वविद्यालय आदेश 38804-25 दिनांक 27-01-2020 निर्धारित किया गया है। उक्त दोनों आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **परिशिष्ट-12** **(पृष्ठ संख्या 127-129)**	शैक्षणिक
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
15	अध्यक्ष, राष्ट्र भाषा हिन्दी प्रचार समिति, श्रीडूंगरगढ़ ने अपने पत्रांक 241 दिनांक 18.011.2019 के द्वारा हिन्दी समिति, श्रीडूंगरगढ़ को शोध केन्द्र के रूप में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर से मान्यता प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **परिशिष्ट-13** **(पृष्ठ संख्या 130)**	शोध
निर्णय	**विश्वविद्यालय द्वारा शोध केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान करने से पूर्व नियमावली एवं मापदण्ड निर्धारित करने के लिए निम्नानुसार समिति गठित**	

	की गई :- **(1) प्रो. अनिल कुमार छंगाणी, विभागाध्यक्ष-पर्यावरण विज्ञान** **(2) डॉ. राकेश हर्ष, प्रतिनिधि, शासन सचिव, उच्च शिक्षा** **(3) उप कुलसचिव, शैक्षणिक - सदस्य सचिव** **समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	
16	श्री गुरू नानक देव जी के 550 वे प्रकाश उत्सव को समर्पित राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय में "गुरू नानक चेयर" की स्थापना करने का निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर लिया गया है। अतः इस विश्वविद्यालय में "गुरू नानक चेयर" की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। **परिशिष्ट-14 (पृष्ठ संख्या 131)**	शैक्षणिक
निर्णय	**विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त होने पर तत्समय नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।**	
17	(1) प्रतिवेदित है कि **सिस्टर निवेदिता कन्या महाविद्यालय, बीकानेर** :- विद्या परिषद द्वारा निर्धारित एवं प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित मापदण्डों के अनुसार किसी भी महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र स्वीकृति के लिए नियमित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 300 वांछित है। सिस्टर निवेदिता कन्या महाविद्यालय, बीकानेर में यद्यपि नियमित विद्यार्थियों की संख्या 122 है जो वांछित संख्या से कम है तथापि महिला महाविद्यालय होने के कारण एवं महाविद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधनों के आधार पर निरीक्षण दल की अनुशंसानुसार परीक्षा 2020 के लिए विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प. 15( ) मगंसिविबी/परीक्षा/2020/20697 दिनांक 02.03.2020 के द्वारा परीक्षा केन्द्र स्वीकृत किया गया। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **(2) प्रतिवेदित है कि श्री आर एन महाविद्यालय, सालासर** :- विश्वविद्यालय परीक्षा 2019 के दौरान उक्त परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल प्रकरण पाये जाने के कारण विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प. 15/मगंसिविबी/परीक्षा/2019/13735 दिनांक 09.10.2019 द्वारा परीक्षा केन्द्र निरस्त कर दिया गया था। महाविद्यालय में अधिकांश छात्राएं होने एवं स्थानीय स्तर पर अन्य कोई महाविद्यालय नहीं होने के फलस्वरूप श्री आर एन महाविद्यालय, सालासर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर परीक्षा केन्द्र बहाल करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया किया। महाविद्यालय के निरीक्षण उपरांत प्रस्तुत रिपोर्ट, नकल प्रकरण में संलिप्त समस्त स्टॉफ को कार्यमुक्त करने एवं परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक लगाकर परीक्षा केन्द्र स्वीकृत करने की अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प. 15( )मगंसिविबी/परीक्षा/2020/20697 दिनांक 02.03.2020 के द्वारा परीक्षा केन्द्र बहाल करने की स्वीकृति प्रदान की गई। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	परीक्षा

निर्णय	**सिस्टर निवेदिता कन्या महाविद्यालय, बीकानेर एवं श्री आर एन महाविद्यालय, सालासर को कोविड–19 की परिस्थिति के दृष्टिगत केवल परीक्षा वर्ष 2020 के लिए परीक्षा केन्द्र बनाने के निर्णय की पुष्टि की गई।**	
18	**परीक्षा केन्द्र हेतु निर्धारित मापदण्डों के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–** 1. वर्तमान में परीक्षा केन्द्र की स्वीकृति हेतु महाविद्यालय में न्यूनतम 300 विद्यार्थियों का नामांकन आवश्यक है। कतिपय महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्र आवंटन के समय विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप थी परन्तु कालांतर में धीरे–धीरे कम होकर अत्यधिक न्यून हो गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों से ऐसे महाविद्यालय भी परीक्षा केन्द्र स्वीकृत किये गये जो न्यूनतम पंजीकृत विद्यार्थियों की शर्त की पूर्ति नहीं करते हैं, विशेषकर उक्त गांव/शहर/कस्बें में अन्य महाविद्यालय नहीं होने, निकटतम परीक्षा केन्द्र की दूरी अधिक (20–30 किमी.) हाने आदि तथा कुछ महिला महाविद्यालय भी हैं जिन्हे उक्त शर्त में छूट प्रदान की गई है। ऐसे महाविद्यालयों को परीक्षा 2021 हेतु निरन्तर परीक्षा केन्द्र रखने अथवा समीक्षा कर पुनः निर्णय करने हेतु प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। 2. अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में एक कक्षा में 2 यूनिट(100 विद्याथी) स्वीकृत हैं तथा बी.एड. पार्ट प्रथम एवं द्वितीय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 होती है। अतः शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र स्वीकृति हेतु न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या (300) से छूट प्रदान करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ है।	परीक्षा
निर्णय	**विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम निर्धारित 300 विद्यार्थियों की संख्या के मापदण्ड पर सहमति प्रदान करते हुए आगामी परीक्षा वर्ष से जो परीक्षा केन्द्र न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या का मानदण्ड पूरा नही करते ह, उन परीक्षा केन्द्रों की समीक्षा की जाए। शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्र के लिए विद्यार्थी संख्या 200 अथवा आवंटित संख्या निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।**	
19	**परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल प्रकरण पाए जाने पर कार्यवाही के सम्बन्ध में :–** विश्वविद्यालय परीक्षा की गोपनीयता एवं गरिमा बनाए रखने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समय समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। निजी महाविद्यालय के सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये गए हैं, निरन्तर उड़नदस्ता दलों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है व विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जाता है। परीक्षा केन्द्र संचालित करने वाले महाविद्यालयों से भी परीक्षा की गोपनीयता व गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। यद्यपि अधिकांश महाविद्यालय अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हैं परन्तु कतिपय महाविद्यालयों में सामूहिक नकल अथवा महाविद्यालय प्रशासन	परीक्षा

	की मिलीभगत से नकल कराने के मामले समय समय पर सामने आते रहे हैं। गत वर्षों में कई परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक नकल प्रकरण अथवा महाविद्यालय प्रबंधन के नकल में संलिप्त पाये जाने पर ऐसे महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्र विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त किये गए। परन्तु ऐसे महाविद्यालयों द्वारा अगले वर्ष ही परीक्षा केन्द्र बहाल करने के लिए आवेदन कर परीक्षा केन्द्र की मांग कर दी जाती है तथा इस हेतु दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है। अतः विश्वविद्यालय परीक्षा की गरिमा बनाए रखने हेतु नकल प्रकरण के कारण निरस्त परीक्षा केन्द्र एक निश्चित अवधि तक पुनः परीक्षा केन्द्र स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए ताकि समाज व विद्यार्थियों में एक अच्छा संदेश जाए। इसलिए परीक्षा केन्द्र के निरस्तीकरण की न्यूनतम अवधि निर्धारण हेतु प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**परीक्षा केन्द्र पर नकल प्रकरण के कारण परीक्षा केन्द्र निरस्त करने के सम्बन्ध में अनुशंसा करने हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा न्यूनतम 03 वर्ष और अधिकतम 05 वर्ष के लिए परीक्षा केन्द्र निरस्त करने की गुणावगुण के आधार पर अनुशंसा की जा सकेगी।**	
20	**एक वर्ष में दो नियमित पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट होने के कारण दोनों परीक्षाओं की अंकतालिका निरस्त करने का प्रस्ताव :–** कैरियर शिक्षक परिक्षण महाविद्यालय, चूरू ने पत्र क्रमांक 689 दिनांक 02.12.2019 एवं प्राचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय, चूरू ने पत्र क्रमांक 851 दिनांक 03.12.2019 द्वारा यह सूचित किया कि छात्र विवेक कुमार धानक पुत्र श्री करणसिंह सत्र 2018–19 में बी.एड.–प्रथम वर्ष की परीक्षा–2019 में रोल नं. 419893 एवं एलएलबी–द्वितीय वर्ष परीक्षा–2019 में रोल नं. 969691 से प्रविष्ट हुआ है। उक्त दोनों पाठ्यक्रम नियमित श्रेणी के है। इस संबंध में जांच करने पर पाया गया कि छात्र ने एक ही सत्र में दो अलग–अलग नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है तथा परीक्षा भी दी है। छात्र की उक्त दोनों परीक्षाओं की मूल अंकतालिकाएं विश्वविद्यालय में जमा हैं। एक ही शैक्षणिक सत्र में दो कोर्सेज किये जाने के सम्बन्ध में वि. वि. अध्यादेश 168–A एवं 168–B में निम्नानुसार प्रावधान है– 168-A. Notwithstading anything contained in these Ordinances a candidate shall, in no case, be permitted to appear at two main examinations of the University simultaneously in the same year. 168-B. In examination which is held separately for collegiate and non-collegiate candidates, no candidate shall be permitted to appear at both the examinations in one and the same year. If a candidate appears or attempts to appear at both the examinations, he shall render himself liable to cancellation of his appearance at both the examinations and forfeiture of marks-sheet and	परीक्षा

	degree/certificate etc. as the case may be. उक्त प्रावधान अनुसार विद्यार्थी की एलएलबी–द्वितीय वर्ष परीक्षा–2019 एवं बी.एड.–प्रथम वर्ष परीक्षा–2019 की अंकतालिका निरस्त करने हेतु प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।	
निर्णय	**विद्यार्थी की एलएलबी–द्वितीय वर्ष परीक्षा–2019 एवं बी.एड.–प्रथम वर्ष परीक्षा–2019 की अंकतालिका निरस्त करने का निर्णय लिया गया।**	
22	स्नातकोत्तर अंकतालिका एवं उपाधि में विषय का उल्लेख करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :– विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अंतर्गत निम्नांकित तीन पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है– 1. M.A. History (Medieval) 2. M.A. Archaeology 3. M.A. Genaeology and Community History इस संबंध मे विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ने पत्र क्रमांक 4192 दिनांक 01.11.2019 के द्वारा उनके विभाग मे संचालित उक्त पाठ्यक्रमों की अंकतालिका में पाठ्यक्रमों का नाम निम्नानुसार अंकित करने का अनुरोध किया :– M.A. History (Medieval) M.A. History (Arechaeology) M.A. History (Genaeology and community History) उल्लेखनीय है कि स्नातकोत्तर कक्षाओं की अंकतालिकाओं एवं उपाधियों मे मुख्य विषय का ही उल्लेख होता है यथा M.A. History, M.A. Pol. Science, M.COM. EAFM आदि एवं ब्रांच व वर्ग का उल्लेख नही किया जाता है। मुख्य विषय के ब्रांच/वर्ग का नाम अंकतालिका में अंकित प्रश्न–पत्रों के नाम में प्रदर्शित होता है। प्रकरण तत्कालीन कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । माननीय कुलपति महोदय ने दिनांक 26.12.2019 को इतिहास विभाग मे संचालित M.A. History-Medieval, M.A. Archaeology एवं M.A. Genaelogy and community History के पाठ्यक्रमों मे अध्ययनरत विधार्थियों को M.A. History की अंकतालिका एवं उपाधि प्रदान करने का निर्णय लिया। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	परीक्षा
निर्णय	विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में विद्यार्थी ने जिस कक्षा में प्रवेश लिया है तथा परीक्षा दी है उसी कक्षा की उसे उपाधि प्रदान की जाए।	
23	इन्द्रा खुगर पुत्री श्री चरणजीत सिंह खुगर बी.एड. परीक्षा 2014 (रोल न. 903963) की अंकतालिका एवं उपाधि निरस्त करने का प्रस्ताव :– अध्यक्ष बैंच मजिस्ट्रेट, कार्यालय बाल कल्याण समिति, बाल अधिकारिता विभाग, हनुमानगढ़ ने पत्र क्रमांक 1215 दिनांक 29.07.2019	परीक्षा

	द्वारा सूचित किया कि बी.एड. परीक्षा–2014 की छात्रा इन्द्रा खुँगर पुत्री श्री चरणजीत खुँगर रोल नं. 903963, ने इस विश्वविद्यालय से बी.एड. की परीक्षा उत्तोर्ण की है। छात्रा ने बी.एड. से पूर्व बी.ए. की परीक्षा C.M.J. University, Meghalaya से उत्तीर्ण करना तथा इस आधार पर शिक्षा विभाग में अध्यापिका के पद पर कार्यरत होना अंकित किया हैं। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ द्वारा उल्लेख किया गया है कि छात्रा की बी.ए. की अंकतालिका का C.M.J. University, Meghalaya से सत्यापन कराये जाने पर पाया गया कि बी.ए. की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से फर्जी (Fake) है। छात्रा ने बी.ए. की फर्जी अंकतालिका के आधार पर ही इस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय टाईम्स महिला शिक्षा महाविद्यालय, हनुमानगढ़ में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर पूर्ण किया है। अध्यक्ष बैंच मजिस्ट्रेट, कार्यालय बाल कल्याण समिति, बाल अधिकारिता विभाग, हनुमानगढ ने विश्वविद्यालय को आदेश दिया है कि इन्द्रा खुँगर के खिलाफ कार्यवाही करें तथा बी.एड. की अंकतालिका तुरन्त निरस्त करें। (प्रति संलग्न) उपरोक्त वर्णित पत्र के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 7734 दिनांक 30.07.19 द्वारा विश्वविद्यालय अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त की गई। विश्वविद्यालय अधिवक्ता ने पत्र दिनांक 13.08.19 के द्वारा यह राय प्रदान की कि यह न्यायालय का आदेश ही है। छात्रा द्वारा फर्जी अंकतालिका के आधार पर बी.एड. करने एवं कालांतर में जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरण में विश्वविद्यालय अध्यादेश 169–H(2) के प्रावधान के अनुसार सिंडिकेट को अंकतालिका निरस्त करने का अधिकार है। अधिवक्ता ने अपनी राय दे अंकित किया कि चूंकि व्यक्ति विशेष की अंकतालिका निरस्त करने का मामला है, अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये प्रार्थी इन्द्रा खुँगर को भी इस आशय की सूचना कर देनी चाहिये ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की भी पालना हो सके। विश्वविद्यालय द्वारा छात्रा के प्रवेश के समय महाविद्यालय के दस्तावेजों में अंकित पते, फार्म में अंकित पते एवं पदस्थापित स्कूल के पते पर पत्र क्रमांक 8480 दिनांक 14.08.19, 10223 दिनांक 03.09.2019 (अवितरित प्राप्त) 14864 दिनांक 22.11.2019, 14865 दिनांक 22.11. 2019 द्वारा पत्र अन्तिम स्मरण पत्र प्रेषित कर सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये बी.एड. की मूल अंकतालिका एवं उपाधि विश्वविद्यालय में जमा कराने हेतु सूचित किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपरोक्त पत्रों का अभ्यर्थी इन्द्रा खुंगर से कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और न ही छात्रा द्वारा बी.एड. की मूल अंकतालिका एवं उपाधि विश्वविद्यालय में जमा कराई गई है। अतः विश्वविद्यालय अध्यादेश 169–H(2) के प्रावधान अनुसार छात्रा की बी.एड. परीक्षा–2014 की अंकतालिका एवं उपाधि निरस्त करने हेतु प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**इन्द्रा खुंगर पुत्री श्री चरणजीत सिंह खुगर बी.एड. परीक्षा 2014 (रोल न. 903963) की अंकतालिका एवं उपाधि**	परीक्षा

	निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	
24	उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन में लापरवाही करने पर परीक्षक के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्ताव। **परिशिष्ट–15** **(पृष्ठ संख्या 132–133)**	परीक्षा
निर्णय	प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 8 में सदैव के लिए परीक्षात्मक कार्यो से वचित करने के स्थान पर 05 वर्ष के लिए परीक्षात्मक कार्यो स वंचित करने का निर्णय लिया गया तथा शेष प्रस्ताव यथा प्रस्तावित स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त परीक्षात्मक कार्यो से वंचित किये जाने वाले परीक्षक को सूचित करने तथा उसकी प्रति संस्था प्रधान को दिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही परीक्षा कार्य से वंचित किये गये परीक्षकों की सूची विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित नही करने के निर्देश प्रदान किये।	
25	शोधग्रन्थ जमा कराने हेतु 15 मार्च, 2020 से 15 सितम्बर, 2020 की अवधि वाले शोधार्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 06 माह की अवधि बढाने की स्वीकृति का प्रस्ताव।	शोध
निर्णय	**एम.फिल. एवं पीएच.डी. शोधार्थियों के लिए 06 माह की अवधि बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।**	
26	शोधग्रन्थ जमा कराते समय शोधार्थी एवं शोध पर्यवेक्षक द्वारा शोध ग्रन्थ के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण–पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	शोध
निर्णय	**प्रारूप का अनुमोदन किया गया।**	
27	शिक्षा संकाय के अन्तर्गत सत्र 2020–21 से M.P.Ed. दो वर्षीय पाठ्यक्रम को इस विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने एवं सम्बद्धता शुल्क निर्धारण करने का प्रस्ताव।	शैक्षणिक
निर्णय	**अंगीकृत किया गया। पाठ्यक्रम एवं सम्बद्धता शुल्क पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।**	
28	शिक्षा संकाय के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के अनुमोदन का प्रस्ताव।	शैक्षणिक
निर्णय	अनुशंसा पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया गया तथा पुनर्विचार पश्चात् समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	
29	माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक के दौरान प्राप्त प्रस्ताव :–	
निर्णय	(1) विश्वविद्यालय विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों की समीक्षा हेतु निम्नानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :–	शैक्षणिक

	(1) कुलसचिव (2) वित्त नियंत्रक (3) प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी (4) प्रो. अनिल कुमार छंगाणी, विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान (5) प्रो. राजाराम चोयल, आचार्य, पर्यावरण विज्ञान (6) आमंत्रित विशेष विशेषज्ञ (7) उप कुलसचिव, शैक्षणिक समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा पर निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। (2) कोविड–19 के कारण परीक्षा 2020 की शेष प्रायोगिक परीक्षा हेतु स्थानीय विश्वविद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों को परीक्षक नियुक्त करने निर्णय लिया गया।	परीक्षा

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(भंवर सिंह चारण)
कुलसचिव